संख्या-/052020/एच.एस.-34 /52-4-2020-बजट(14)/2017

प्रेषक,

इच्छाराम,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव/कार्यपालक अधिकारी,

उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4, लखनऊ:दिनांक 13 नवम्बर, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-1248/110/एस0एच0सी0/2020, दिनांक 15.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रान्तीय हज समिति को मद संख्या-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद की अवशेष धनराशि निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1- 149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षणोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य हज समिति के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-048 लेखा शीर्ष 2250-800 अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद की प्राविधानित धनराशि रू० 209.00 लाख में से प्रथम किश्त की धनराशि रू० 52.25 लाख शासनादेश संख्या-एच.एस.-25/52-4-2020-बजट (14)/2017, दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत की जा चुकी है । उक्त मद की अवशेष धनराशि रूपये 156.75 रूपये एक करोड छप्पन लाख पिचहत्तर हजार मात्र की धनराशि निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिये व्यय की मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अंतर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतिया सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी। यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतिया प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी।

(2) स्वायत्तशासी संस्थायें जिन्हें प्रशासकीय विभाग द्वारा सहायता अनुदान/अंशपूंजी/ऋण स्वीकृत किया जाता है, के कोषागार से भुगतान हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-अ भाग-1 के प्रस्तर-209 के अनुसार स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी अथवा प्राधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए। यदि स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर न किया जाना हो तो ऐसे में स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाने वाले सरकारी अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख वित्तीय स्वीकृति में किया जाय।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशो के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृतियां जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।

(5) प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतिया न जारी की जाय।

(6) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट से रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(7) अनुदानों को विभागवार /विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखा शीर्ष अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखा शीर्ष /अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि की संभावना रहती है। अतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वलो बिलों में सही लेखा लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय। भारित व्यय के लिये जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में मानक मद के आगे कोष्ठक में'' भारित '' शब्द का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय। बजट सहित्य में विस्तृत लेखाशीर्ष को चार अंकों में दर्शाया गया है जिसके प्रथम दो अंक उप शीर्ष को प्रदर्शित करते है। वित्तीय स्वीकृतियों/आवंटन पत्रों में विस्तृत लेखा शीर्ष का उल्लेख चार अंकों में किया जाय परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में विस्तृत शीर्ष के अन्तिम दो अंकों (चार अंकों में से प्रथम दो अंक छोड़कर) को ही अंकित किया जाय।

(8) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैडर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-048 के लेखाशीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवायें, 800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या-05/2020/एच.एस.-34/(1)/52-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in